**Seventeenth Loksabha**

an>

**Title : Regarding compensation to farmers distressed due to scanty rain in Uttar Pradesh.**

**श्री जगदम्बिका पाल** (**डुमरियागंज**): महोदय, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभी तक बहुत कम बारिश होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया है। किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की रोपाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बारिश न होने के कारण किसानों के खेत-खलिहान और जमीन सूख गए हैं। किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पंपिंग-सेट एवं ट्यूबवेल से खेत को भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश ना होने के कारण नर्सरी के पौधे पीले पड़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल एवं नहरों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन वह नाकाफी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक सामान्य बारिश 220 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अत: इस अवधि के सापेक्ष 65 पर्सेंट कम है, आईएमडी की भाषा में 60 पर्सेंट से 99 पर्सेंट कम वर्षा को "बड़ी कमी" अर्थात भयंकर सूखा की श्रेणी में माना जाता है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 243.5 (-68%) के मुकाबले मानसून मौसम के पहले तीन पखवाड़े के दौरान सिर्फ 77.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 187.1 मिलीमीटर (-59%) के सामान्य के मुकाबले 77.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ के धान की फसल की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण उनके समक्ष धान के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बारिश ना होने से सूखे के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय अध्ययन दल की टीम को भेजने की मांग करता हूँ, जिससे केंद्रीय अध्ययन दल किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर के उन्हें उचित मुआवज़ा दिलाने का कार्य सुनिश्चित करे।